प्रपत्र – 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1 परियोजना का नाम :— कांकेर वन मण्डल के कांकेर परिक्षेत्र अन्तर्गत नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव के कक्ष क्रमांक 346 में से रकबा 4.309 हें. में शासकीय पॉलीटेक्नि भवन निर्माण हेतु।

2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :— प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर

3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग :— शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु।

4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति :— नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव, कक्ष क्रमांक 346 रकबा 4.309 हें.

5 वन भूमि का विस्तृत विवरण :—

(क) आरक्षित वन :— –

(ख) सीमांकित संरक्षित वन :— नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव, कक्ष क्रमांक 346

(ग) असीमांकित संरक्षित वन :— –

(घ) राजस्व वन क्षेत्र :— –

6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति, प्रकार :— मिश्रित प्रजाति, साईट क्वालिटी चतुर्थ, घनत्व 0.2 से 0.3 है।

7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :—

अ.क्र.	प्रजाति	कुल वृक्षों की संख्या
1	नीलगिरी	32
2	सेन्हा	1
3	चार	2
4	अकेशिया	1
	योग –	**36**

8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति :— पुनरूत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।

9 आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी/वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे :— आवश्यक नहीं है।

स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बयोस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं ? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	:–	नहीं है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।	:–	आवश्यक नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण देवें।	:–	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षण स्थल – कांकेर (नाथियानवागांव)

दिनांक – 29/8/2018

वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी

कांकेर वृत्त कांकेर/कांकेर वन मण्डल कांकेर

मय सील

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, कांकेर वन मण्डल के कांकेर परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम नाथियानवागांव नारंगी वन खण्ड कक्ष क्रमांक 346 में से रकबा 4.309 हें. में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 29/8/2018 को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं है तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है।

प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर के द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 4.309 हें. परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन कक्ष ओ.ए./346 के प्रस्तावित स्थल में कुल 36 मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.2 से 0.3 तक तथा स्थल गुण श्रेणी अन्डर स्टॉक के है एवं प्रस्तावित स्थल समाकृति उबड–खाबड़, भौमिकी आरकियन और मृदा कंकड़ीली है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

कांकेर जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण होने से जिले के छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उन्हे वृहद रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होगें। कार्य की महत्तता को देखते हुए उक्त प्रयोजन राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के लिए दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर